## झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग

/ राँची, दिनांक-<u>26 · 0 ह</u> · 2022

## अधिसूचना

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021), केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित किया गया है तथा इस अधिनियम के अधीन प्रावधान दिनांक 28.12.2021 की अधिसूचना के तहत दिनांक 30.12.2021 से प्रवृत्त हैं।

- 2. इस अधिनियम के अधीन बांधों की विफलता (Dam Failures) से संबंधित आपदाओं की रोक—थाम के निमित्त विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन व रख—रखाव एवं उनके सुरक्षित संचालन तथा सम्बद्ध कार्यों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत तंत्र (institutional mechanism) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- 3. संदर्भित अधिनियम के सुसंगत कंडिका (Section-11) के अंतर्गत सन्निहित प्रावधान के आलोक में The Dam Safety Act, 2021 के प्रवृत्त होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा एक State Committee on Dam Safety (SCDS) गठित किया जाना है।

तदालोक में राज्यान्तर्गत State Committee on Dam Safety (SCDS) का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :--

(i)	Engineer in Chief- I, Water Resources Department (WRD), Ranchi,	Chairman
	Jharkhand	_
(ii)	Chief Engineer, Design, Master Planning & Hydrology, WRD, Ranchi	Member
(iii)	Chief Engineer, Subernarekha Multipurpose Project, Chandil Complex, Adityapur, Jamshedpur	Member
(iv)	Chief Engineer, Water Resources Department, Medininagar	Member
(v)	Chief Engineer, Water Resources Department, Ranchi	Member
(vi)	Chief Engineer, Water Resources Department, Hazaribagh	Member
(vii)	Nominated Chief Engineer from Damodar Valley Corporation, Jharkhand	Member
(viii)	Nominated Chief Engineer of WRD from The State of Chattishgarh	Member
(ix)	Nominated Chief Engineer of WRD from The State of Odisha	Member
(x)	Nominated Chief Engineer of WRD from The State of Bihar	Member
(xi)	Nominated Chief Engineer of WRD from The State of West Bengal.	Member
(xii)	Nominated Chief Engineer of WRD from The State of Uttar Pradesh.	Member
(xiii)	One (1) Representative of the Central Water Commission (CWC) not below the rank of Director, nominated by the Chairman, CWC	Member

(xiv)	One (1) Expert in the field of hydrology or dam designs from Birsa	Member
	Institute of Technology, Sindri, Jharkahnd.	
(xv)	One (1) Expert in the field of hydrology or dam designs from Birla	Member
	Institute of Technology, Meshra, Ranchi, Jharkahnd.	
(xvi)	One (1) Expert in the field of hydrology or dam designs from National	Member
	Institute of Technology, Jamshedpur, Jharkahnd.	×
(xvii)	One (1) Representative of the Central Electricity Authority not below	Member
	the rank of Director, nominated by the Chairman, Central Electricity	
	Authority.	

- 4. State Committee on Dam Safety (SCDS) का गठन 3 (तीन) वर्षों के लिए किया जाता है एवं तदन्तर में प्रत्येक 3 (तीन) वर्षों के लिए इसे पुनर्गठित किया जायेगा। इस समिति की बैठक राज्य सरकार के द्वारा यथा निर्धारित नियमों के तहत निर्धारित स्थल / समय पर आयोजित की जाएगी। यह बैठक वर्ष में 2 (दो) बार आयोजित की जाएगी, जिसमें एक बैठक का आयोजन मानसून (Monsoon) के प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा।
- 5. उक्त राज्य समिति, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कंडिका 12(1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के तृतीय अनुसूची (Third schedule) में निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करेगी।
- 6. उक्त गठित State Committee on Dam Safety (SCDS) अंतर्गत विभागीय पदाधिकारियों के पद सोपान के विरुद्ध पदस्थापित पदांकित विभागीय पदाधिकारीगण पदेन प्रतिनियुक्त होंगे।
- 7. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखण्ड राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के गठन हेतु एतद्संबन्धी प्रस्ताव पर दिनांक— 24.08.2022 को सम्पन्न झारखण्ड मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं॰—30 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
- 8. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड। ज्ञापांक :- 3/पी०एम०सी०/कार्य- 471/2022 618 /राँची, दिनांक- 26:08:2022 प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

संयुक्त सर्चिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी०एम०सी०/कार्य- 471/2022... हिंडी /राँची, दिनांक-... २६:०८ : २०२२ प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/कार्य- 471/2022 6/8 /राँची, दिनांक- 26:08: 2022

प्रतिलिपि:— राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय (मुख्य) मंत्री जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय के उपसचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/कार्य- 471/2022...6/8 /राँची, दिनांक-....26:08:2021

प्रतिलिपि:— सिचव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली— 110001 (E-mail:- secy-mowr@nic.in)/ संयुक्त सिचव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली— 110001 (E-mail:- jsrd-dowr@gov.in)/ मुख्य अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, अमरनाथ रोड, अदालतगंज, पटना— 01 (E-mail:- celgbo-cwc@nic.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सर्चिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :— 3/पी०एम०सी०/कार्य— 471/2022 6/8 /राँची, दिनांक— 26:08:2022 प्रतिलिपि:— सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार (Email:- wrd-bih@nic.in)/प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जलपथ विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार (Email:- iwd.prsecy@gmail.com)/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, भुवनेश्वर, ओड़िशा सरकार

(Email:- eic-wr.od@nic.in) / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार (Email:- enc@cgwrd.in) / अभियंता प्रमुख, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (Email:- eincididuplu-up@nic.in) / Chairman, Damodar valley corporation (Email:- chairman@dvc.gov.in) / Head of Department, Civil Engineering, N.I.T. Jamshedpur (Email:- hod.ce@nitjsr.ac.in) / Head (Civil and Environmental Engineering), Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi (Email:- hod.cee@bitmesra.ac.in) / Head of Department, Civil Engineering, BIT Sindri, Dhanbad (Email:- rvsingh.civil@bitsindri.ac.in) / Chairperson, Central Electricity Authority, New Delhi (Email:- chair@nic.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/कार्य- 471/2022...618 /राँची, दिनांक- 26:08:2022

प्रतिलिपि:— अभियंता प्रमुख— I एवं II / सभी विभागीय मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता (लघु सिंचाई / यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :- 3/पी0एम0सी0/कार्य- 471/2022<u>6/8</u> /राँची, दिनांक-<u>26: 08: 202</u>2

प्रतिलिपि:— वेब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।